न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 16/2018 (उदयपुर आर्डर)

1. इश्हाक मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी नया खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती महरूम बेगम उर्फ मिठ्ठू बाई पत्नी इश्हाक मोहम्मद जाति मुसलमान, निवासी नया खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. प्रधानाचार्य राजकीय माध्यमिक विद्यालय नया खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला
   उदयपुर (राज.)
2. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर उदयपुर कमांक प.12/3 (55)राज/आवं/17/1517 दि. 25.07.2017

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) : 1– श्री अजय सनाढ्य अभिभाशक अपीलान्टगण

2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक

22–05–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के पत्र कमांक 1613 दिनांक 22–05–2017 के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 25–07–2017 से ग्राम नयाखेड़ा की बिलानाम आराजी नंबर 7559 रकबा 1.2600 हैक्टर भूमि का रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 राजकीय माध्यमिक विद्यालय नयाखेड़ा के पक्ष में निःशुल्क आवंटन किया गया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20–02–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि अपीलान्ट की आवंटन शुदा होकर मौके पर उसका कब्जा है, इसके बावजूद बिना अपीलान्ट की जानकारी के उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में कर दिया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 14–02–2018 को नकल प्राप्त करने पर हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की जा रही है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

अपीलान्ट द्वारा दफा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि उसकी आवंटन शुदा भूमि होकर मौके पर उसका कब्जा है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये निर्णय पारित कर दिया गया है। अपीलान्टगण आवश्यक एवं व्यथित पक्षकार है। अतः अपीलान्टगण का अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

हमारे द्वारा उक्त दफा 5 जाब्ता मयाद के आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी तो यह पाया कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था, जिससे उसके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं होने का कथन उचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाती है।

जहां तक दफा 96 जा.दी. के आवेदन का प्रश्न है, अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में अपने पक्ष में आवंटन किये जाने तथा उसको कब्जा सुपुर्द किये जाने बाबत् दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं, जिससे प्रकट होता है कि अपीलान्ट इस प्रकरण में आवश्यक एवं व्यथित पक्षकार है। अतः अपीलान्टगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में बताया कि विवादित भूमि का उसके पक्ष में दिनांक 08–07–2003 को नियमानुसार आवंटन किया जाकर पटवारी द्वारा मौके पर दिनांक 07–04–2004 को उसे भौतिक कब्जा सिपुर्द किया गया है, तब से उसका कब्जा चला आ रहा है। अपीलान्ट का कब्जा मुखालफाना होने से से आवंटन कमेटी द्वारा मजमे आम में अन्य करीब 145 लोगों के साथ नियमानुसार किया गया है। विवादित भूमि ग्राम नोहरा में स्थित है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि को ग्राम नया खेड़ा में बताकर आवंटन कर दिया गया है, जो अपीलान्टगण को नुकसान पहुंचाने की गरज से किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 1064, आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 1080, आर.बी.जे. (18) पेज 7 पेश कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि राजकीय बिलानाम भूमि है, जिसका आवंटन राजकीय विद्यालय को नियमानुसार किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने पत्रावली के अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि दिनांक 08–07–2003 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा 145 व्यक्तियों के पक्ष में आवंटन किये गये हैं, जिनमें कम संख्या 81 पर अपीलान्टगण के पक्ष में विवादित आराजी नंबर 7559 रकबा 1.2600 हैक्टर का आवंटन किया गया है। उक्त आवंटन पत्र पर उपखण्ड अधिकारी के अलावा विधायक, प्रधान, तहसीलदार व सरपंच के हस्ताक्षर हैं, जिससे उक्त आवंटन को त्रुटि पूर्ण नहीं माना जा सकता। कब्जा सिपुर्दगीनामा दिनांक 07–04–2004 से अपीलान्टगण को कब्जा दिया जाना भी प्रमाणित है। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 25–07–2017 को जो आवंटन किया गया है, वह त्रुटि पूर्ण है, क्योंकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक नजीरों अनुसार जब तक पूर्व के किये गये आवंटन को विधि अनुसार अपास्त नहीं कर

दिया जावे, तब तक बाद के आवंटन आदेश को अविधिक माना जायेगा। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25–07–2017 अपास्त किया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर